

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-9/आ०-05-30/2025(स्वा०)...../

पटना, दिनांक:-.....

सिविल सर्जन, गोपालगंज के पत्रांक-2743 दिनांक-07.10.2025 द्वारा डॉ० कृष्णा कुमार (कोटि क्रमांक-G1875/2025 एवं सेवानिवृत्ति की तिथि-31.01.2047), चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, फुलवरिया, गोपालगंज के विरुद्ध दिनांक-26.07.2025 को जिला पदाधिकारी के औचक निरीक्षण में अनुपस्थित पाये जाने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय पत्रांक-766(9) दिनांक-14.07.2026 एवं स्मार पत्रांक-832(9) दिनांक-05.08.2026 द्वारा डॉ० कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। जिसके अनुपालन में डॉ० कुमार द्वारा अपना प्रत्युत्तर विभाग में समर्पित किया गया। डॉ० कुमार के प्रत्युत्तर में अपनी माता जी की तबीयत खराब रहने के कारण का उल्लेख किया गया है।

2. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ० कुमार के प्रत्युत्तर की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाते हुए डॉ० कुमार के विरुद्ध दिनांक-25.07.2025 एवं 26.07.2025 को अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(v) के अधीन संचयी प्रभाव के बिना 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

3. अतएव डॉ० कृष्णा कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल, फुलवरिया, गोपालगंज के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(v) के अधीन संचयी प्रभाव के बिना 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

4. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/आ०-05-30/2025(स्वा०)/ पटना, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ०-05-30/2025(स्वा०) 1362(9A) /पटना, दिनांक:-24.09.26

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ सारण प्रमंडल, छपरा/सिविल सर्जन, गोपालगंज/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

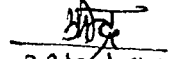
प्रतिलिपि:-माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 3, 7, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/09/2026

15

प्रतिलिपि:—डॉ० कृष्णा कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, फुलवरिया, गोपालगंज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


23/09/2026

सरकार के अवर सचिव।